

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)



EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Ministry of Labour and Employment, Govt. of India

उप क्षेत्रीय कार्यालय, "भविष्य निधि भवन"

SUB REGIONAL OFFICE, "BHAVISHYANIDHI BHAVAN"

पत्र पें नं/P.B.NO:1806, एरन्जिपालम पोस्ट/ERANHIPALAM.P.O., कोषिकोड/ Kozhikode-673 006.

दूर भाष / Phone No.: 2361293, 2767893, 2368193 फैक्स/ Fax: 2768850.

ई.मेल /E.Mail:sro.kozhikode@epfindia.gov.in वेब सैट/Website : www.epfindia.gov.in

सं.केआर/केके/ प्रशा 1(5)/स्टेशनरी/2016

दिनांक:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कोषिकोड के लिए स्टेशनरी वस्तुओं की पूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित करने की सूचना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोषिकोड, के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में (01.04.2016 से 31.03.2017) अनुलग्नक में दर्शाए गए कार्यालय स्टेशनरी की पूर्ति हेतु पंजीकृत प्रदायकों से मोहरबंद कोटेशन आमंत्रित करते हैं। इच्छुक प्रदायकों निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अपना कोटेशन प्रस्तुत करें।

निबंधन एवं शर्तें

- 01 दर्शाए गए दर में नियमानुसार सभी कर एवं वितरण प्रभार सम्मिलित होना चाहिए।
- 02 कोटेशन में किसी भी तरह का अधिलेखन/सुधार नहीं होना चाहिए। वस्तुओं का प्रति यूनिट दर अंक एवं अक्षरों में दर्शाना चाहिए।
- 03 यदि दर स्वीकार्य करने की दशा में उक्त दर वर्ष 2016-17 (01.04.2016 से 31.03.2017) के दौरान लागू होंगे।
- 04 वस्तुओं को एरन्जिपालम में स्थित कार्यालय भवन के प्रथम तल में प्रदायक अपनी लागत में पूर्ति करना चाहिए।
- 05 वस्तुओं पूर्ण एवं अच्छी स्थिति में विनिर्देशन के अनुसार प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाएगा।
- 06 ठेके के दौरान किन्हीं वस्तुओं की मात्रा बढ़ाना या काटना का अधिकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर निर्भर है।
- 07 वस्तुओं का मदवार तुलना करने के बाद ही कोटेशन को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- 08 रु. 1500/- ई एम डी के रूप में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कालिकट के नाम पर आहरित डी डी कोटेशन के साथ होना हे तथा मोहर बंद लिफाफे में "स्टेशनरी वस्तुओं की पूर्ति हेतु कोटेशन" अभिलेख करके क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के उपर्युक्त पते पर भेजना चाहिए। कोटेशन प्रस्तुत करने का अंतिम तिथि 28.03.2016बजे (अप) है। कोटेशन दिनांक 29.03.2016 को अपराह्न 12.30बजे (यदि कोई ठेकेदार उपस्थित हो तो उनकी उपस्थिति में) खोला जाएगा।
- 09 ई एम डी/मोहरबंद के बिना प्राप्त कोटेशन को अस्वीकार किया जाएगा।
- 10 उपर्युक्त निबंधन एवं शर्तों में भंग होने पर ई एम डी को ज़ब्त किया जाएगा।
- 11 किसी भी कारण बताए बिना किन्हीं निविदों को चुनना या किन्हीं या सभी निविदों को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी पर निर्भर है।

संलग्न: वस्तुओं की सूची

(प्रशांत के)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

